वर्ष 1987 की INF संधि से अलग हुआ रूस

स्रोत: AIR

रूस ने औपचारिक रूप से **मध्यम दूरी परमाणु शक्ति (Intermediate-Range Nuclear Forces- INF) संधि 1987** से स्वयं को अलग कर लिया है।

- **INF संधि (1987) के बारे में:** अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित इस संधि ने 500-5,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सभी **ज़मीनी बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया** । इसका उद्देश्य परमाणु खतरे को कम करना तथा वैश्विक हथियार नियंत्रण को बढ़ावा देना था।
  - **अमेरिका ने वर्ष 2019 में INF संधि से बाहर निकलने का निर्णय लिया**, यह आरोप लगाते हुए कि रूस इस संधि का उल्लंघन कर रहा है, जिससे संधि की प्रासंगिकता पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी।
- **रूस के संधि से अलग होने का कारण:** रूस ने दावा किया है कि संधि की शर्तें अब अस्तित्व में नहीं हैं तथा उसने फिलीपींस में अमेरिका द्वारा **टायफॉन मिसाइल प्रणालियों की तैनाती और ऑस्ट्रेलिया में हुए मिसाइल अभ्यास (टैलिसमैन सेबर अभ्यास**) को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये प्रत्यक्ष खतरा बताया।
- **वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव:** इससे परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू होने की आशंका बढ़ जाएगी तथा वैश्विक अप्रसार एवं हथियार नियंत्रण प्रयास कमज़ोर हो जाएंगे।
- **अन्य प्रमुख परमाणु हथियार नियंत्रण संधियाँ:**
  - **परमाणु अप्रसार संधि (NPT) (1970):** यह परमाणु प्रसार को रोकती है, यह वैश्विक निरस्त्रीकरण के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य करती है। **(भारत इसका सदस्य नहीं है)।**
  - **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) (1996):** यह सभी परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों या किसी भी अन्य परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाती है। इस संधि **पर जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन** के दौरान सहमति बनी थी। **(भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं)।**
  - **नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (नयू स्टार्ट) (2010):** इसने "स्टार्ट ट्रीटी" का स्थान लिया है, यह **अमेरिका और रूस** दोनों द्वारा तैनात किये गए सामरिक परमाणु हथियारों तथा लॉन्चरों के लिये **सत्यापन योग्य सीमाएँ निर्धारित करता है**।

Drishti IAS

परमाणु हथियारों के खिलाफ संधियाँ

भाग– I

परमाणु हथियार

- पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार; **एक ऐसा बम या मिसाइल जिसमें विस्फोट के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग** किया जा सकता है।
- परमाणु हथियार या तो **परमाणु विखंडन (परमाणु बम)** या **परमाणु संलयन (हाइड्रोजन बम)** द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त जारी करते हैं।
- केवल एक परमाणु हथियार भी इतना शक्तिशाली होता है कि वह **एक पूरे शहर को नष्ट करने**, संभावित रूप से **लाखों लोगों को मारने, प्राकृतिक पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डालने की क्षमता** रखता है।
- **द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान** वर्ष 1945 में अमेरिका द्वारा **पहली और आखिरी बार** इनका इस्तेमाल **हिरोशिमा और नागासाकी पर** किया था।

परमाणु हथियार अप्रसार संधि (NPT 1970)

- **उद्देश्य**
  - *परमाणु हथियारों और इसकी तकनीक के प्रसार को रोकना*
  - *परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना*
  - *परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने*
- **सदस्य देश**
  - *सदस्यों की संख्या 191 जिसमें **पाँच परमाणु हथियार संपन्न देश** (NWS)– अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस और चीन भी शामिल हैं*
- **परमाणु हथियार संपन्न देश**
  - *जिन्होंने **1 जनवरी, 1967 से पहले** परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोटक उपकरण का **निर्माण और विस्फोट** किया*
- **महत्त्व**
  - *परमाणु संपन्न देशों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिये **एकमात्र बाध्यकारी संधि***
- **भारत और परमाणु अप्रसार संधि**
  - ***भारत** (पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान के साथ) **सदस्य नहीं है***
  - *भारत एक **भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण नीति** के रूप में इसका विरोध करता है*
  - *भारत की नीति- परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ पहले उपयोग नहीं और गैर-परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ कोई उपयोग नहीं (No First Use against NWS and no use against non–NWS)*
- **NPT समीक्षा सम्मेलन**
  - ***संधि के कार्यान्वयन की पंचवर्षीय समीक्षा** करता है*

और पढ़ें: परमाणु नरिसत्रीकरण: भारत का संतुलक कार्य

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/russia-withdraws-from-1987-inf-treaty